प्रेस नोट,
दिनांक 16.05.2025

थाना छपिया पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद चोरी की मोटरसाईकिल (कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नरायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा ग्राम बढौलीपुर के पास रात्रिगस्त/चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी करने के अभियुक्त 01. गुफरान पुत्र बेचन निवासी ईजदीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 03 अदद मोटरसाइकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 16.05.2025 को थाना छपिया पुलिस द्वारा ग्राम बढौलीपुर के पास रात्रि गस्त/वाहन चेकिंग कि जा रही थी कि चेकिंग कौ दौरान मोटरसाइकिल पर सवार मोटरसाइकिल चोर 01. गुफरान पुत्र बेचन निवासी ईजदीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 03 अदद मोटरसाइकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर थाना छपिया में मु0अ0सं0-152/2025, धारा 317(2), 317(3), 318(4), 336(3), 338, 340(2), बीएनएस का अभियगो पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गुफरान पुत्र बेचन निवासी ग्राम ईजदीपुर थाना छपिया जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-152/25, धारा 317(2), 317(3), 318(4), 336(3), 338, 340(2), बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी स्कूटी (MP04UP2175),
02. 01 अदद स्कूटी वाह (MP04ZE8526)
03. 01 अदद हीरो स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाइकिल(UP51AM 6430) चोरी का बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मयंक वर्मा
02. उ0नि0 मलखा प्रसाद
03. का0 शैलेन्द्र यादव
04. का0 अच्छेलाल गुप्ता

मीडिया सेल गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.05.2025, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से सामुहिक दुराचार करने के 01 अभियुक्त व 01 किशोर अपचारी को हुई 20 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रूपये 7,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 20.05.2020 को थाना मनकापुर को सूचना प्राप्त हुई की एक नाबालिग लड़की जो शौच के लिए गई थी उसके विपक्षीगण साथ सामुहिक दुराचार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर मु0अ0सं0- 135/2020, धारा 376डी, 506 भादवि व 5G/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त 01. उमाशंमकर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 01 किशोर अपचारी को मा0न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.09.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा थाना मनकापुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीण आर्या व थाना मनकापुर के पैरोकार हे0का0 बृजेश गुप्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 16.05.2025 को दोषी अभियुक्त – 01. उमाशंकर उर्फ आंधी व 01 किशोर अपचारी को 20 वर्ष का कारावास व 07,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. उमाशंकर उर्फ आँधी पुत्र रामकेवल निवासी ग्राम जमुनहा गैलन ग्रण्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 135/2020, धारा 376D, 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।